बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं0-स-0निग0क0145/2024-..5081.... /निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक57/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा जिला प्रोग्राम कार्यालय, कटिहार तथा ज्ञापांक-56/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय, कदवा, डंडखोरा-हसनगंज, कटिहार, कटिहार सदर एवं कटिहार ग्रामीण तथा कदवा परियोजनान्तर्गत 05 ऑगनबाड़ी केन्द्रों की औचक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही संयुक्त निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय के ज्ञापांक-58/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा भी दिनांक-05.08.2024 को कटिहार जिला के बाल विकास परियोजना फलका, मनसाही एवं मनिहारी अन्तर्गत कुल-07 आंगनबाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जिला प्रोग्राम कार्यालय कटिहार के जॉच प्रतिवेदनानुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा अपने कार्यालय के कर्मियों की उपस्थिति जनवरी, 2024 से जुलाई, 2024 तक कभी जाँच नहीं किये जाने, कर्मियों के अवकाश या प्रतिनियुक्त रहने की सूचना उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं किये जाने, रोकड़बही में विभिन्न मदों के लगभग 11 वर्ष पूर्व की वैसी राशियों जिन्हें चलान / चेक के माध्यम से जमा कर देनी चाहिए थी, उन राशियों को Carry over किये जाने, एक्सिस बैंक में 45,701/- रूपये सूद की राशि पड़े रहने, बाल विकास परियोजना कार्यालय, कदवा द्वारा वापस किया गया 14,640/- रूपये सामान्य रोकड़बही में पड़े रहने, अग्रिम एवं अभिश्रव के रूप में क्रमश: 17,167/- रूपये एवं 45,948/- रूपये असमायोजित रहने, विधायी प्रश्नों की पंजी, अनुग्रह अनुदान योजना पंजी, लोकायुक्त पंजी, कर्मचारी कर्मपुस्त एवं वाहन लॉगबुक संधारित नहीं रहने, अनुग्रह अनुदान योजना के 11 मामले जिसमें वर्ष 2017-18 के भी मामले हैं, लंबित पाये जाने आदि का उल्लेख किया गया है।

इसी तरह कटिहार जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार कदवा कार्यालय में रोकड़बही में 1,97,37,770/- रूपये का अभिश्रव विगत दो वर्षो से असमायोजित पाये जाने, पोषाहार के क्रय भाउचर पर मई 2024 का भाउचर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किये जाने, अण्डा वितरण एवं WBNP के चावल का उठाव नियमानुसार नहीं होने तथा डंडखोरा-हसनगंज परियोजना कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पूर्व के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा रोकड़बही का प्रभार नहीं दिये जाने, जून 2024 का पोषाहार वितरण बाधित रहने, e-KYC मात्र 3 प्रतिशत पाये जाने, बाल विकास परियोजना कार्यालय, कटिहार सदर के निरीक्षण के दौरान रोकड़बही में विभिन्न मदों में अव्यवहृत राशियों Carry over किया गया पाये जाने, e-KYC मात्र 3 प्रतिशत पाये जाने तथा कटिहार ग्रामीण के निरीक्षण के दौरान सुधा दुग्ध चूर्ण का स्टॉक कार्यालय में पाये जाने, e-KYC मात्र 3 प्रतिशत पाये जाने, सामान्य रोकड़बही 30.06.2024 तक ही अद्यतन होने, रोकड़बही में विभिन्न मदों में अव्यवहृत राशियों Carry over किया गया पाये जाने आदि की स्थितियां पाई गई है। साथ ही बाल विकास परियोजना फलका, कदवा, मनसाही एवं मनिहारी अन्तर्गत कुल निरीक्षित 12 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 02 आंगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये जाने एवं 06 केन्द्रों पर सहायिका अनुपस्थित पाये जाने, सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति नामांकित बच्चों की तुलना में काफी कम पाये जाने, आंगनबाड़ी केन्द्रो का संचालन विभागीय मानको के अनुरूप नहीं होने, अधिकतर केन्द्रों पर बच्चे पोशाक में नहीं पाये जाने, केन्द्र संचालन संबंधी अन्य कई अनियमितताओं के पाये जाने का उल्लेख किया गया है।

जॉच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों / अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं/ आरोप की गंभीर प्रकृति को देखते हुए श्रीमती किसलय शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक मे विभागीय अधिसूचना संख्या-3872 दिनांक-14.08.2024 द्वारा श्रीमती किसलय शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

तत्क्रम में इनके पुनर्विचार आवेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती किसलय शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सहरसा) को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती किसलय शर्मा को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-145/2024 - 5081 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-145/2024 - 5081 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ/कोशी/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/श्रीमती किसलय शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सहरसा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।